महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-2426/सोलह-1-2009-13(128)/2009

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2009

विषयः-डा0 अम्बडेकर इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी फार हैण्डीकैप्ड, कानपुर की प्रशासकीय परिषद की बैठक दिनांक 27-03-08 में प्रवेश के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसार छात्रों का प्रवेश करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, डा0 अम्बडेकर इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी फार हैण्डीकैप्ड, कानपुर के पत्र संख्या-539-41/एआईटीएच/2009, दिनांक 25-07-09 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान की प्रशासकीय परिषद की बैठक दिनांक 27-03-2008 में मद संख्या-06:24 में लिए गए निर्णय के अनुसार शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त संस्थान की विशिष्टता एवं विकलांग छात्रों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान में डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत सीटो को विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित करते हुए तथा 40 प्रतिशत सीटों को सामान्य छात्रों के लिए निर्धारित कर प्रवेश दिए जाने का निर्णय लिया गया है। विकलांग तथा सामान्य दोनों श्रेणियों में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू रहेगी।

2- कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही तत्काल करने का कष्ट

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेई)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशंक, डा0 अम्बडेकर इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी फार हैण्डीकैप्ड, कानपुर को उनके उपर्युक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
अनु सचिव।